

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक-प्र०/सा०बि०पा०डि०क०लि०-06/2019
प्रेषक,

पटना, दिनांक-

प्रत्यय अमृत,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना।

विषय:- साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० के क्षेत्राधीन नालंदा जिला के इस्लामपुर प्रखंड के ग्राम जैतीपुर में एक अदद 33/11 के०वी० 2X5 एम०भी०ए० का नया शक्ति उप केंद्र के निर्माण हेतु 6.61 करोड़ (छः करोड़ इकसठ लाख) रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में शेष राशि 4.61 करोड़ (चार करोड़ इकसठ लाख) रुपये साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० को भुगतान करने हेतु आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय राज्यादेश संख्या-1713 दिनांक-09.07.2019 के आलोक में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० के क्षेत्राधीन नालंदा जिला के इस्लामपुर प्रखंड के ग्राम जैतीपुर में एक अदद 33/11 के०वी० 2X5 एम०भी०ए० का नया शक्ति उप केंद्र के निर्माण हेतु 6.61 करोड़ (छः करोड़ इकसठ लाख) रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में शेष राशि 4.61 करोड़ (चार करोड़ इकसठ लाख) रुपये साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० को भुगतान करने हेतु आवंटन स्वीकृत एवं विमुक्त किया जाता है।

2. उक्त राशि मांग सं०-10, मुख्य शीर्ष 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-उप मुख्य शीर्ष-05 संचरण तथा वितरण लघु शीर्ष-190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश उपशीर्ष-0111-बिहार स्टेट पावर (हो०) कं० लि० की परियोजना, विपत्र कोड-10-480105.190.0111, विषय शीर्ष-5401-निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

आवंटन की स्थिति निम्न प्रकार है :-

बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान में आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	बजट उपबंध की शेष राशि
19581300000.00	1000000000.00	46100000.00	1046100000.00	18535200000.00

3. इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जाएगी।

4. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जाता है तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से अनुरोध है कि राशि की निकासी के पूर्व सारी प्रक्रियाओं को पूरी करने के बाद ही इस राशि की निकासी करेंगे। यह राशि उस मद में कुल उपबंधित राशि के अधीन है।

